<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

<u>[वित्त तथा व्यय]</u>

<u>एफ एवं ई परिपत्र संख्या 14/ 2013</u>

<u>पीडीए में परामर्शदाता/ सलाहकार आदि के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों/पीडीए के अधिकारियों/ पूर्व-सैनिक को नियुक्त करने हेतु नीतिगत दिशानिर्देश/ शर्तें एवं निबंधन</u>

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली डीडीए में परामर्शदाता/सलाहकार आदि के रूप में डीडीए/अन्य विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ प्राधिकारियों, पूर्व सैनिकों/ डीजीआर कार्मिक को नियुक्त करने के लिए संशोधित एकसमान/ मानक नीतिगत दिशानिर्देश/ शर्तें एवं निबंधन इस प्रयोजनार्थ समिति के सिफारिशों पर निम्नानुसार अनुमोदित करते हैं:-

1. **<u>नियुक्ति/ एंगेजमेंट</u>**

डीडीए में परामर्शदाता/सलाहकार आदि के रूप में डीडीए/अन्य विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/प्राधिकारियों, पूर्व सैनिकों/डीजीआर कार्मिक की नियुक्ति/एंगेजमेंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

2. **<u>पारिश्रमिक/शुल्क (प्रतिमाह):</u>**

क्र.सं.	**अंतिम आहरित ग्रेड पे**	**देय पारिश्रमिक/ शुल्क (प्रतिमाह)**
1.	रु. 1900 तथा रु. 2000	रु. 9,000/-
2.	रु. 2400 तथा रु. 2800	रु. 12,500/-
3.	रु. 4200 तथा रु. 4600	रु. 20,000/-
4.	रु. 4800	रु. 23,000/-
5.	रु. 5400	रु. 25,500/-
6.	रु. 6600	रु. 31,000/-
7.	रु. 7600	रु. 35,000/-
8.	रु. 8700 तथा रु. 8900	रु. 40,000/-
9.	रु. 10000	रु. 48,000/-

3. **<u>आयु सीमा</u>**

सामान्य आधार पर डीडीए द्वारा अंग्रीककृत मौजूदा आयु सीमा 62 वर्ष है। यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त स्टाफ की बेहतर स्वास्थ्य पर विचार करते हुए इनकी आयु

सीमा सेवानिवृत्ति के उपरांत पुन:रोजगार अथवा परामर्शदाता/ सलाहाकार के रूप में नियुक्ति के लिए 65 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

4. **<u>परिवहन भत्ता</u>**

अधिकारी/ अधिकारियों को घर से कार्यालय आने-जाने के लिए उनके समकक्ष रैंक के सेवारत अधिकारी/ प्राधिकारियों के समान यात्रा हेतु परिवहन दिया जाएगा। हालांकि, असाधारण मामलों में स्टाफ कार/ परिवहन सुविधा के साथ प्रदान किए गए अधिकारियों को परिवहन भत्ते के अधिकार नहीं होंगे।

5. **मोबाइल फोन प्रभार:**

कर्त्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि परार्शदाता को निम्नानुसार मोबाइल के प्रभारों की प्रतिपूर्त्ति की जाए:

क्र.सं.	ग्रेड वेतन	मोबाइल फोन के प्रभारों की धनराशि
1.	4800 रुपए तक	रु. 500/- प्रति माह
2.	4800 रुपए से ज्यादा और 6600 रुपए तक	रु. 800/- प्रति माह
3.	7600 रुपए एवं उससे अधिक	रु. 1,000/- प्रति माह

6. **<u>छुट्टी</u>**

नियुक्त परामर्शदाता/ सलाहकार/ प्राधिकारी सरकारी छुट्टियों के अलावा 8 दिल के आकस्मिक अवकाश हेतु पात्र होगा।

7. **<u>परिवहन सुविधाएं</u>**

परामर्शदाता मेरिट के अपवाद के साथ परिवहन सुविधा हेतु पात्र नहीं होगा। तथापि, उसे समकक्ष रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी/ अधिकारियों को अनुमत्य समान शर्तों एवं निबंधनों पर वास्तविक वाहन प्रभारों/ व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति होगी।

8. **<u>परामर्शदाताओं/ सलाहकारों के पारिश्रमिक तथा अन्य पहलुओं की समीक्षा</u>**

परामर्शदाताओं/सलाहकारों के पारिश्रमिक तथा अन्य पहलुओं की समीक्षा प्रत्येक दो वर्षो के उपरांत की जाएगी। ये आदेश माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन की तारीख अर्थात् 7.2013 से प्रभावी होंगें।

9. <u>नीति की समीक्षाः</u>

परामर्शदाताओं/सलाहकारों के पारिश्रमिक तथा अन्य पहलुओं की समीक्षा प्रत्येक दो वर्षों के उपरांत की जाएगी।

10. <u>नीति का कार्यान्वयन</u>

ये आदेश दिनांक 14.09.2009 को परिपत्र संख्या एफ.7 (108)/2009/पीबी-I/ डीडीए/2155 में उल्लिखित पूर्ववर्ती नीतिगत दिशानिर्देशों/ शर्तों एवं निबंधनों तथा दिनांक 15.12.2009 के समसंख्यक शुद्धिपत्र और डीडीए द्वारा जारी अन्य सभी आदेशों/दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में है। ये आदेश दिनांक 12.07.2013 अर्थात् माननीय एलजी के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होंगें।

[मनीष कुमार]
मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफई.16(24)2008/डीडीए/ 454 **दिनांकः 25 जुलाई, 2013**

सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपिः-

1. उप राज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी;
2. उपाध्यक्ष, डीडीए के विशेष कार्याधिकारी;
3. निजी सचिव, एफएम/ ईएम, डीडीए;
4. सभी प्रमुख आयुक्त/ सीवीओ/ सीएलए, डीडीए;
5. सभी आयुक्त/ आयुक्त-सह-सचिव;
6. सभी मुख्य आयुक्त/ मुख्य वास्तुकार;
7. निदेशक (कार्मिक) I तथा II;
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिकता)
9. ई.ओ. पुस्तक/ गार्ड फाइल।

लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]